रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT.

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1978/चैत्र 9, 1900
No. 104] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1978/CHAITRA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1978

कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1978

सा०का०नि० 201(अ):—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में—

(1) खण्ड (ख) में,—

(क) उपखण्ड (iii) में, "या अन्य किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित की जाए" शब्दों के स्थान पर "या भारतीय साधारण बीमा निगम से या गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से या किसी ऐसी वित्तीय कम्पनी से, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन हो या किसी अन्य वित्तीय कम्पनी या सार्वजनिक वित्तीय संस्था से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित की जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखण्ड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(iv) ऐसी कम्पनी द्वारा जिसने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है और जनता से किन्हीं निक्षेपों का प्रतिग्रहण नहीं किया है, किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त कोई राशि;"

(ग) उपखंड (vii) में "(ऐसे बन्धपत्र या डिबेंचर जो कम्पनी की आस्तियों पर किसी प्रभार या धारणाधिकार द्वारा प्रतिभूत हैं)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "ऐसे बन्धपत्र या डिबेंचरें, जो उपखंड (x) के अन्तर्गत आती हैं" कोष्ठक और शब्द रखे जायेंगे;

(घ) उपखंड (ix) में,—

(1) "या प्राइवेट कम्पनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त कोई रकम" शब्दों के स्थान पर "किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा या किसी ऐसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा जो अधिनियम की धारा 43-क के अधीन लोक कम्पनी बन गई है और जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित उपबन्धों को अपने संगम अनुच्छेदों में सम्मिलित रखना जारी रखती है, अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई रकम" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे;

(2) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, वे निदेशक या शेयरधारक, जिनसे धन प्राप्त किया गया है, धन देते समय कम्पनी के समक्ष इस आशय की एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करते हैं कि वह रकम ऐसी निधियों में से नहीं दी जा रही है जो उसने औरों से उधार लेकर या प्रतिग्रहण करके अर्जित की है।

स्पष्टीकरण:—संदेहों के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1978 के आरम्भ

से पूर्व किसी कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये या नवीकृत कोई निक्षेप, यथास्थिति, ऐसे निक्षेप या पुनर्नवीकरण के समय लागू नियमों से शासित रहे आयेंगे," ,

(ङ) उपखण्ड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'(x) कम्पनी की किसी स्थावर सम्पत्ति का, गिरवी रखकर प्रतिभूत बन्धपत्रों या डिबेचरों के निर्गम द्वारा, या बन्धपत्रों या डिबेचरों को कम्पनी के शेयरों में सपरिवर्तित करने के विकल्प के साथ ली गई कोई रकम :

परन्तु किसी स्थावर सम्पत्ति को गिरवी रखके प्रतिभूत ऐसे बन्धपत्रों या डिबेचरों की दशा में ऐसे बन्धपत्रों या डिबेचरों की रकम ऐसी स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी; ",

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(गग) 'वित्तीय कम्पनी' से ऐसी गैर-बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45I के खण्ड (ग) के अर्थ में एक वित्तीय संस्था है।",

(iii) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् —

"(घ) 'मुक्त आरक्षितियां' के अन्तर्गत कम्पनी के तुलनपत्र में दिखाये गये या प्रकाशित शेयर प्रीमियम लेखा, पंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षिति और किन्हीं अन्य आरक्षितियों के, जो कम्पनी के लाभों में से विनियोजन द्वारा सृष्ट की गई हों, प्रतिशेष आते हैं किन्तु इसके अन्तर्गत,—

(i) किसी भी भविष्यत् दायित्व के प्रतिदाय के लिये या आस्तियों में अवक्षयण के लिये या डूबन्त ऋणों के लिये ;

(ii) कम्पनी की किन्हीं आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा,

सृष्ट किसी आरक्षिति में के प्रतिशेष नहीं आते हैं "।

3 उक्त नियमों के नियम 3 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) "छह मास अथवा अधिक के पर्यवसान के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "छह मास के पर्यवसान के पश्चात् किन्तु छत्तीस मास के अपश्चात्," शब्द रखे जायेंगे;

(ख) परन्तुक में, "उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट ऐसे निक्षेप" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "निक्षेप" शब्द 1 अप्रैल, 1980 से रखा जायेगा,

(ग) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

परन्तु यह और कि जहां कम्पनी ने 1 अप्रैल, 1978 के पूर्व किसी ऐसे निक्षेप का प्रतिग्रहण किया है जो छत्तीस मास से अधिक की अवधि के पश्चात् प्रतिदेय है वहां ऐसा निक्षेप, तब तक जब तक कि वह उक्त तारीख के पश्चात् पुनर्नवीकृत नहीं किया जाता है, ऐसे निक्षेप के निबन्धनों के अनुसार प्रतिदेय होगा।";

(ii) उपनियम (2) में, खण्ड (i) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 1979 से यह खण्ड इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा कि 'पन्द्रह प्रतिशत' शब्दों के स्थान पर 'दस प्रतिशत' शब्द रखे गये थे और जहां किसी कम्पनी के 1 अप्रैल, 1979 को बकाया प्रतिशेष परादेय ऐसे निक्षेपों की सकल राशि दस प्रतिशत से अधिक है, तो वहां ऐसी कम्पनी निक्षेपों को 1 अप्रैल, 1980 को या उससे पूर्व दस प्रतिशत की सीमा तक कम कर देगी ,";

(iii) इस प्रकार संशोधित उपनियम (2) के स्थान पर 1 अप्रैल, 1980 से निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) 1 अप्रैल, 1980 को तथा उससे कोई कम्पनी किन्हीं निक्षेपों का प्रतिग्रहण या पुनर्नवीकरण नहीं करेगी यदि किसी ऐसे निक्षेप और ऐसे अन्य निक्षेपों की कुल रकम जो पहले से ही प्राप्त किये गये हैं और ऐसे निक्षेप की प्राप्ति या पुनर्नवीकरण की तारीख को परादेय है, समादत्त शेयरपंजी तथा कम्पनी की मुक्त आरक्षितियों के योग के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है;

(iv) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"(4) 1 अप्रैल, 1978 को और उससे, वहां जहां कम्पनी के कोई ऐसे परादेय ऋण हैं, जो कि उक्त तारीख के ठीक पूर्व यथा विद्यमान स्पष्टीकरण 1 के अनुसरण में निक्षेपों में से अपवर्जित कर दिये गये थे, तो, ऐसी कम्पनी, 1 अप्रैल, 1981 के पूर्व ऐसे ऋणों का प्रतिसंदाय करेगी या ऐसे ऋणों को ऐसी रकम तक कम करेगी, जो अन्य बकाया निक्षेपों सहित, इस नियम में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है।"

(v) स्पष्टीकरण 1 का लोप किया जायेगा।

(vi) स्पष्टीकरण 2 में, "स्पष्टीकरण 2" शब्द और अंक के स्थान पर "स्पष्टीकरण" शब्द रखा जायेगा।

4 उक्त नियमों के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"3क. **अनिर्बद्ध आस्तियों का बनाये रखना** :—(1) प्रत्येक कम्पनी प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल, से पूर्व, ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले अपने निक्षेपों की रकम से दस प्रतिशत से अन्यून राशि का निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक या अधिक पद्धतियों से, यथास्थिति, निक्षेप या विनिधान करेगी, अर्थात् —

(क) किसी भार या धारणाधिकार से मुक्त किसी अनुसूचित बैंक के पास चालू या अन्य जमा खाते में,

(ख) केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की विलगम रहित प्रतिभूतियों में,

(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) और (ङ) में उल्लिखित विलगम रहित प्रतिभूतियों में।

स्पष्टीकरण —इस नियम के प्रयोजन के लिये खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियां उनके बाजार मूल्य के अनुसार गणना में ली जायेंगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन, यथास्थिति, निक्षिप्त या विनिधान की गई रकम, उस उपनियम में निर्दिष्ट वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले निक्षेपों के प्रति संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जायेगी, परन्तु वह रकम जो, यथास्थिति निक्षिप्त या विनिधान की गई रही आती है, उस वर्ष की 31 मार्च पर्यन्त परिपक्व होने वाले निक्षेपों की रकम के दस प्रतिशत से किसी भी समय कम नहीं होगी।"

5 उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(i) उपनियम (2) में, खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(ज) विज्ञापन की तारीख" से ठीक पूर्ववर्ती दो संपरीक्षित तुलन पत्रों में दिये गये के अनुसार कम्पनी की संक्षिप्त में वित्तीय स्थिति निम्नलिखित प्ररूप में, अर्थात् :—

दो अन्तिम संपरीक्षित तुलनपत्रों में दर्शाए गये के अनुसार कम्पनी की संक्षिप्त में वित्तीय स्थिति।

दायित्व	उस अन्तिम वित्तीय वर्ष के आकड़े जिसके संपरीक्षित लेखा उपलब्ध है	स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आकड़े	आस्तियां	उस अन्तिम वित्तीय वर्ष के आकड़े जिसके संपरीक्षित लेखा उपलब्ध है	स्तम्भ 5 में निर्दिष्ट वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आंकड़े
1	2	3	4	5	6
शेयर पूंजी			स्थायी आस्तियां		
आरक्षिति और अधिशेष			विनिधान		
प्रत्याभूत उधार			चालू आस्तियां		
अप्रत्याभूत उधार			उधार और अग्रिम		
चालू दायित्व और व्यवस्थायें			प्रकीर्ण व्यय		
योग			लाभ-हानि लेखा		
			योग		

टिप्पण :—आकस्मिक दायित्वों की संक्षिप्त प्रविष्टियां पाद टिप्पण के रूप में जोड़ी जा सकती हैं।

(झ) वह रकम जो कम्पनी इन नियमों के अधीन निक्षेप के रूप में ले सकती है और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन वस्तुतः धृत निक्षेपों का सकल योग ;

(ञ) यथास्थिति, इस आशय की विवरणी कि विज्ञापन की तारीख को कम्पनी के कोई अतिशोध्य निक्षेप, सिवाय अदावाकृत निक्षेपों के नहीं थे अथवा ऐसी विवरणी जिसमें ऐसे अतिशोध्य निक्षेपों की रकम दिखाई गई हो ;

(ट) इस आशय की घोषणा कि—

(i) कम्पनी ने इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है ;

(ii) इन नियमों के अनुपालन में यह अन्तर्निहित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने निक्षेपों के प्रतिसंदाय की गारन्टी दी है ; और

(iii) कम्पनी द्वारा प्रतिगृहीत निक्षेप (ऐसे प्रत्याभूत निक्षेप, यदि कोई हो, से भिन्न जिनका प्रतिग्रहण इन नियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है, ऐसे निक्षेपों की सकल रकम भी दर्शाई जानी चाहिए) अप्रतिभूत है और अन्य अप्रतिभूत दायित्वों से समगति है।",

(ii) उपनियम (3) में, 'उस वित्तीय वर्ष के दौरान निक्षेपों के प्रति ग्रहण के लिए" शब्दों के स्थान पर "उस वित्तीय वर्ष के दौरान निक्षेप आमंत्रित करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में, "जिस पर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो जिसका नाम उसमें निदेशक के रूप में हो" शब्दों के स्थान पर "जिस पर, उस समय जिस समय कि विज्ञापन अनुमोदित किया गया हो, कम्पनी के यथा गठित निदेशक बोर्ड के निदेशकों की बहुसंख्या द्वारा, अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा, जिन्हें लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर किया गया हो," शब्द रखे जाएंगे,

(iv) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

6. उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"4क (1) विज्ञापन के स्थान पर विवरणी—जहां किसी कम्पनी का आशय बिना आमंत्रण के, या किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने की अनुज्ञा दिए बिना या उससे आमंत्रण कराए बिना निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने का है वहां वह, निक्षेपों का प्रतिग्रहण करने के पूर्व, निबन्धक को विज्ञापन के स्थान पर ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के लिए परिदत्त करेगी जिसमें वे सभी विशिष्टियां हों जो नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसार विज्ञापन में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं तथा जो उस नियम के उपनियम (4) में उपबन्धित रीति से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगी।"।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिदत्त विवरणी उस वित्त वर्ष के जिसमें कि वह परिदत्त की जाती है बन्द होने की तारीख से छह मास के पर्यवसान पर्यन्त या उस तारीख पर्यन्त जिसको साधारण अधिवेशन कम्पनी में तुलनपत्र प्रस्तुत किया जाता है, अथवा वहां, जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है उस अन्तिम तारीख पर्यन्त जिसको ऐसा अधिवेशन अधिनियम के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए था, इन तारीखों में से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी।"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(i) "संविदाकृत दर" शब्दों के स्थान पर "उस दर से जिस पर कम्पनी ने उस दशा में संदाय किया होता जब निक्षेप का प्रतिग्रहण उतनी अवधि के लिए किया जाता जितनी के लिए निक्षेप रखा गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे ; अर्थात् :—

"परन्तु इस नियम की कोई भी बात, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिए ऐसा निक्षेप कम्पनी द्वारा प्रतिग्रहीत किया गया था, किसी निक्षेप के प्रतिसंदाय को तब लागू नहीं होगी, जब ऐसा प्रतिसंदाय एकमात्र (क) गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 या (ख) नियम 3 के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

स्पष्टीकरण—जहां वह अवधि जिसके लिए निक्षेप रखा गया है वर्ष का कोई भाग है तो यदि ऐसा भाग छः मास से कम है तो उसे अपवर्जित किया जाएगा और यदि ऐसा भाग छः मास या उससे अधिक है तो उसकी गणना इस नियम के प्रयोजन के लिए एक वर्ष के रूप में की जाएगी।"

8. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (1) में "जो कि कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होगी", शब्द अंत में जोड़े जाएंगे।

9. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में :—

(i) भाग क में,—

(क) मद 2 के अन्तर्गत उपमद (छ) में, "(उन्हें अपवर्जित करते हुए जो नियम 3 में स्पष्टीकरण में वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप हों)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद 1, और इस प्रकार से संशोधित मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मदें 1 अप्रैल, 1980 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. नियम 3(1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप ।

2. नियम 3(2) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप" ;

(ग) मद 3 में,—

(1) "क—नियम 2 के अधीन" अक्षर, शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(2) उपमद (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) ऐसी कम्पनी द्वारा जिसने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और जनता से किन्हीं निक्षेपों का प्रतिग्रहण नहीं किया है ।"

(3) उपमद (ण) के स्थान पर निम्नलिखित उपमदें रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ण) शेयरों, स्टाक आदि के मद्दे अभिदाय के रूप में प्राप्त रकम और न्यास में प्राप्त रकम या संक्रमणगत कोई रकम ।
[नियम 2(ख) (vii) और (viii)]

(त) निदेशकों से प्राप्त धन [नियम 2 (ख) (ix)]

(थ) प्राइवेट कम्पनी द्वारा या उस प्राइवेट कम्पनी द्वारा जो कि अधिनियम की धारा 43क के अधीन लोक कम्पनी हो गई है, प्राप्त धन [नियम 2(ख) (ix)]

(द) प्रत्याभूत/सपरिवर्तनीय डिबेन्चरों के निर्गम से प्राप्त धन ।
[नियम 2 (ख) (x)]

योग ______"

(4) नियम 3 के अधीन शीर्ष "ख" और उसके अन्तर्गत उपमदों का लोप किया जाएगा ।

(ii) भाग ख में,—

(क) मद 1 में, "(क) नियम 3(2)(i) के अधीन आने वाले निक्षेप" कोष्ठकों, अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "नियम 3(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन आने वाले निक्षेप" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ;

(ख) मद 1 में, "नियम 3(2) (ii) के अधीन आने वाले निक्षेप" शब्दों, अंकों, और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 3(2) के अधीन आने वाले निक्षेप" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ;

(ग) मद 2 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"3. अनिरूद्ध आस्तियों की विशिष्टियां (नियम 3क)

(क) अगली 31 मार्च से पूर्व परिपक्व होने वाले निक्षेपों की रकम . . . .

(ख) उपरोक्त (क) का दस प्रतिशत . . . .

(ग) अनिरूद्ध आस्तियों की विशिष्टियां—

(i) बैंक निक्षेप और बैंक का नाम तथा निक्षेपों की किस्म

(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां
(क) अंकित मूल्य
(ख) बाजार मूल्य

(iii) न्यस्त प्रतिभूतियां
(क) अंकित मूल्य
(ख) बाजार मूल्य ______

योग ______

(iii) भाग ग में,—

(क) मद 1 में, "(क) नियम 3(2)(i) के अधीन आने वाले निक्षेप" कोष्ठकों, अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "नियम 3(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन आने वाले निक्षेप", शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ;

(ख) मद 2 में, "नियम 3(2) (ii) के अधीन आने वाले निक्षेप" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 3(2) के अधीन आने वाले निक्षेप" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ;

(iv) प्रबंधक प्रमाणपत्र में,—

(क) "निक्षेपों के आंकड़े और ब्याज की दरें" शब्दों के स्थान पर "निक्षेपों, अनिरूद्ध आस्तियों के आंकड़े और ब्याज की दरें", शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "स्पष्टीकरण 2" शब्द और अंक के स्थान पर "स्पष्टीकरण" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) "नियमों के नियम 3(2) (i) में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर नियम 3(1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ;

(घ) "नियमों के नियम 3(2) (ii) में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 3(2) में निर्दिष्ट किस्म के निक्षेप" शब्द, अंक और कोष्ठक 1 अप्रैल, 1980 से रखे जाएंगे ।

[फा० सं० 1/66/75-सी० एल० XIV]
ए० चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 30th March, 1978

The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1978

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A, read with section 642, of the Commpanics Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1978.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of April, 1978.

2. In rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 (hereinatfer referred to as the said rules),—

(i) in clause (b),—

(a) in sub-clause (iii), for the words "or from any other public financial institution which may be notified by the Central Government in this behalf in consultation with the Reserve Bank of India", the words "or from the General Insurance Corporation of India or from the Gujarat Industrial Investment Corporation Limited or from any financial company wholly owned by the Central Government or State Government or from any other financial company or public financial institution which may be notified by the Central Government in this behalf in consultation with the Reserve Bank of India" shall be substituted ;

(b) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(iv) any amount received by a company which has not gone into commercial production and has not accepted any deposits from the public, from any other company ;"

(c) in sub-clause (vii), for the brackets and words "(such bonds or debentures being secured by a charge or lien on the assets of the company)", the brackets and words "[such bonds or debentures as are covered by sub-clause (x)] shall be substituted ;

(d) in sub-clause (ix),—

(1) for the words "or any amount received by a private company from its shareholders", the words, brackets and figures "or any amount received from its shareholders, by a private company, or by a private company which has become a public company under section 43A of the Act and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause (iii) of sub-section (1) of Section 3 of the Act" shall be substituted ;

(2) the following proviso and **Explanation** shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that the director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received, furnishes to the company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others.

Explanation . For the removal of doubts, it is hereby declared that any deposit received or renewed by a company before the commencement of the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1978, shall continue to be governed by the rules applicable at the time of such deposit or renewal as the case may be ;"

(e) after sub-clause (ix) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(x) any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the company or with an option to convert them into shares in the company provided that in the case of such bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property ;" ;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

'(cc) "financial company" means a non-banking company which is a financial institution within the meaning of clause (c) of section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) ;' ;

(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

'(d) "free reserves" includes the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserve and any other reserves shown or published in the balance sheet of the company and created by appropriation out of the profits of the company, but does not include the balance in any reserve created,—

(i) for repayment of any future liability or for depreciation in assets or for bad debts ;

(ii) by the revaluation of any assets of the company' ;.

3. In rule 3 of the said rules,—

(i) in sub-rule (i),—

(a) for the words "after the expiry of six months or more", the words "after the expiry of six months but not later than thirty-six months" shall be substituted ,

(b) in the proviso, for the words, brackets and figures "such deposits as are referred to in clause (i) of sub-section (2)", the word "deposits" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980 ;

(c) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that where a company has before the 1st day of April, 1978, accepted any deposit repayable after a period of more than thirty-six months, such deposits shall unless renewed after the said date be repaid in accordance with the terms of such deposit."

(ii) in sub-rule (2), in clause (i), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that with effect from the 1st day of April, 1979, this clause shall be subject to the modification that for the words "fifteen per cent" the words "ten per cent" shall be substituted, and where the aggregate of such deposits of a company outstanding on the 1st day of April, 1979, exceeds ten per cent, such company shall bring down the deposits to the limit of ten per cent on or before the 1st day of April, 1980 ; " ;

(iii) for sub-rule (2) as so amended, the following sub-rule shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980, namely :—

"(2) On and from the 1st day of April, 1980, no company shall accept or renew any deposit, if the amount of any such deposit together with the amount of such other deposits, already received and outstanding on the date of receipt or renewal of such deposit, exceeds twenty-five per cent of the aggregate paid up share capital and free reserves of the company." ;

(iv) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) On and from the 1st day of April, 1978, where a company has any outstanding loans which were excluded from deposits by virtue of Explanation 1 as it stood immediately before the said date, then such company shall, before the first day of April, 1981, repay or bring such loans down to an amount which, along with other outstanding deposits, is within the limits specified in this rule" ;

(v) **Explanation** 1 shall be omitted ;

(vi) in **Explanation** 2, for the word and figure "Explanation 2" the words "**Explanation**" shall be substituted.

4. After rule 3 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"3A. **Maintenance of liquid assets**—(1) Every company shall before the 30th day of April, of each year deposit or invest, as the case may be, a sum which shall not be less than ten per cent of the amount of its deposits maturing during the year ending on the 31st day of March next following, in any one or more of the following methods, namely :—

(a) in a current or other deposit account with any scheduled bank, free from charge of lien ;

(b) in unencumbered securities of the Central Government or of any State Government ;

(c) in unencumbered securities mentioned in clauses (a) to (d) and (ee) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).

Explanation—For the purpose of this sub-rule, the securities referred to in clause (b) or clause (c) shall be reckoned at their market value.

(2) The amount deposited or invested, as the case may be, under sub-rule (1), shall not be utilised for any purpose other than for the repayment of

deposits maturing during the year referred to in that sub-rule, provided that the amount remaining deposited or invested, as the case may be, shall not at any time fall below ten per cent of the amount of deposits maturing until the 31st day of March of that year.".

5. In rule 4 of the said rules,—

(i) in sub-rule (2), for clause (h), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(h) a summarised financial position of the company as in the two audited balance sheets immediately preceding the date of advertisement in the following form, namely :—

Summarised financial position of the company as appearing in the two latest audited balance sheets

Liabilities	Figures for the latest financial year for which audited accounts are available	Figures for the financial year previous to the year referred to in column 2	Assets	Figures for the latest financial year for which audited accounts are available	Figures for the financial year previous to the year referred to in column 5
1	2	3	4	5	6
Share capital			Fixed Assets		
Reserves and Surplus			Investments		
Secured loans			Current Assets		
Unsecured loans			Loans and Advances		
Current liabilities and provisions			Miscellaneous Expenditure		
			Profit and loss accounts		
Total :—			Total :		

Note : Brief particulars of Contingent Liabilities may be added by way of a footnote;

(i) the amount which the company can raise by way of deposits under these rules and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year;

(j) a statement to the effect that on the day of the advertisement, the company has no overdue deposits other than unclaimed deposits or a statement showing the amount of such overdue deposits, as the case may be;

(k) a declaration to the effect,—

(i) that the company has complied with the provisions of these rules;

(ii) that compliance with these rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government; and

(iii) that the deposits accepted by the company (other than secured deposits, if any accepted under the provisions of these rules, the aggregate amount of which may be indicated) are unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities.";

(ii) in sub-rule (3), for the words "for the acceptance of deposits during that financial year" the words "for inviting deposits during that financial year" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4) for the words "signed by every person who is named therein as a director", the words "signed by a majority of the directors on the Board of Directors of the company as constituted at the time the Board approved the advertisement, or their agents, duly authorised by them in writing" shall be substituted;

(iv) sub-rule (5) shall be omitted.

After rule 4 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"4A Statement in lieu of advertisement—(1) Where a company intends to accept deposits without inviting, or allowing or causing any other person to invite, such deposits, it shall, before accepting deposits deliver to the Registrar for registration a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement by virtue of sub-rule (2) of rule 4 and duly signed in the manner provided in sub-rule (4) of that rule.

(2) A statement delivered under sub-rule (1) shall be valid until the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is so delivered or until the date on which the balance sheet is laid before the company in general meeting, or, where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Act, whichever is earlier.".

7 In rule 8 of the said rules,—

(i) for the words "contracted rate", the words "the rate which the company would have paid had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run" shall be substituted;

(ii) for the proviso, the following proviso and Explanation shall be substituted, namely :—

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to the repayment of any deposit before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company, if such repayment is made solely for the purpose of complying with the provisions of (a) Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, or (b) rule 3.

Explanation.—Where the period for which the deposit had run contains any part of a year, then, if such part is less than six months, it shall be excluded and if such part is six months or more, it shall be reckoned as one year for the purposes of this rule.".

8. In sub-rule (1) of rule 10 of the said rules, the words "duly certified by the auditor of company" shall be inserted at the end.

9. In the Form annexed to the said rules—

(i) in Part A,—

(a) in sub-item (g) under item II, the brackets, words and figures "(excluding those conforming to the requirements stipulated in Explanation 1 in Rule 3)" shall be omitted;

(b) for item I, and item II as so amended the following items shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980, namely:—

"I. Deposits of the kind referred to in the first proviso to Rule 3(1).

II. Deposits of the kind referred to in Rule 3(2)".;

(c) in item III,—

(1) the letter, words and figure "A, under Rule 2" shall be omitted;

(2) for sub-item (1) the following shall be substituted, namely:—

(1) Any amount received by a company which has not gone into production and has not accepted any deposits from the public, from any other company [Rule 2(b)(iv)].

(3) for sub-item (o), the following sub-items shall be substituted, namely:—

"(o) Amount received by way of subscription to shares, stock, etc. and amount received in trust or any amount in transit [Rule 2(b)(vii) and (viii)].

(p) Money received from directors [Rule 2(b)(ix)].

(q) Money received from shareholders by a private company or by a private company which has become a public company under section 43A of the Act [Rule 2(b)(ix)].

(r) Money received from the issue of secured/convertible debentures [Rule 2(b)(x)].

TOTAL ——————

(4) The heading "B. Under Rule 3" and sub-items thereunder, shall be omitted.

(ii) in Part B,—

(a) in item I for the brackets, letters, words and figures "(a) Deposits Covered by Rule 3(2)(i)", the words figures and brackets "Deposits covered by the first proviso to Rule 3(1)" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980.

(b) in item II, for the words, figures and brackets "Deposits covered by Rule 3(2)(ii)", the words, figures and brackets "Deposits covered by Rule 3(2)" shall be substituted with effect from 1st day of April, 1980.

(c) after item II, the following item shall be inserted, namely:—

"III. Particulars of liquid assets (Rule 3A).

(a) Amount of deposits maturing before 31st March next——————.

(b) Ten per cent of (a above- ——————

(c) Particulars of liquid assets.

(i) Bank deposits with the name of the Bank and kind of deposits.

(ii) Securities of Central/State Government.

(a) face value.

(b) market value.

(iii) Trust Securities,—

(a) face value.

(b) market value.

TOTAL ——————

(iii) in Part C,—

(a) in item I, for the brackets, letter, words and figures "(a) Deposits covered by Rule 3(2)(i)", the words, figures and brackets "Deposits covered by the first proviso to Rule 3(1)" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980;

(b) in item II, for the words, figures and brackets "Deposits covered by Rule 3(2)(ii)", the words, figures and brackets "Deposits covered by Rule 3(2)" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980;

(iv) in the Manager's Certificate,—

(a) for the words "the figures of deposits and interest rates," the words "the figures of deposits, liquid assets and interest rates" shall be substituted;

(b) for the words and figure "Explanation 2," the word "Explanation" shall be substituted;

(c) for the words, figures and brackets "Deposits of the kinds referred to in Rule 3(2)(i) of the Rules," the words, figures and brackets "Deposits of the kinds referred to in the first proviso to Rule 3(1)" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980;

(d) for the words, figures and brackets "Deposits of the kinds referred to in Rule 3(2)(ii) of the Rules," the words, figures and brackets "Deposits of the kinds referred to in Rule 3(2)" shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1980.

[File No. 1/66/75-CLXIV/XI]

A. CHOUDHURY Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978